

कार्यालय कलेक्टर जिला खरगोन एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(उदघोषणा का संशोधन)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम 2013

(कमांक-30 सन् 2013 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत)

कमांक/414/भू-अर्जन/2017

खरगोन, दिनांक 17-08-2017

प्रकरण कमांक/01/अ-82/2016-17 ग्राम-बैडिया तहसील-सनावद जिला-खरगोन की भू-अर्जन अधिनियम की धारा-19 (1) के अन्तर्गत जारी उदघोषणा का न.प्र.राजपत्र भाग-1 दिनांक 21-04-2017 के पृष्ठ कमांक-2151-2152 पर व समाचार पत्र पत्रिका दिनांक 10-04-2017 के पृष्ठ कमांक-4 पर एवं समाचार पत्र ध्रुव वाणी दिनांक 10-04-2017 के पृष्ठ कमांक-5 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है। अतः प्रकाशित घोषणा में अनुसूचि- (1) के पद-1 में वर्णित भूमि में निम्नानुसार संशोधन पढा जावे:-

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ		संशोधित सही प्रविष्टियाँ	
खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
638/4	0.072	638/3	0.072

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अशोक कुमार वर्मा)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग,
जिला-खरगोन(म.प्र.)